न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही

न्यायालय सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़,आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र कालन्द्री

रा.प्रा.पत्र सं.109/2017

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण

सरकार जरिये तहसीलदार,सिरोही

श्री जीवा पुत्र गमनाजी घांची निवासी कालन्द्री तहसील सिरोही जिला सिरोही

उपस्थित :-

1-प्रार्थी सरकार जरिये स्वंय तहसीलदार,सिरोही
2-अप्रार्थी जीवाराम घांची

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत

निर्णय दिनांक 23-5-2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार,सिरोही ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 राज. काश्त.अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी बाबत कृषि भूमि को रूपान्तकरण करवाये बिना अकृषि उपयोग करने का इस न्यायालय मे दिनांक 5-6-2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार,सिरोही ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि मौजा कालन्द्री I के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 261 खसरा नंबर 2885/2697 कुल रकबा 0.0800 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है।। उक्त खसरा नंबर की भूमि मेसे 55 गुणा 20 बराबर 1100 वर्गफीट कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये पक्की सिमेण्ट से निर्माण कर पांच दूकाने तैयार कर अर्बुदा काम्लेक्स का बोर्ड लगाकर वाणिज्यिक उपयोग कर उक्त भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा है। जमाबंदी,नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द दिनांक 29-5-2017 मूल ही संलग्न है। अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नंबर 2885/2697 कुल रकबा 0.0800 हेक्टेयर मेसे 55 गुणा 20 बराबर 1100 वर्गफीट कृषि भूमि का बिना वाणिज्यिक रूपान्तरण करवाये अकृषि उपयोग कर अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त आराजी सरकार के खाते मे दर्ज करने के आदेश प्रसारित करवाना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2070-2073 के खाता नंबर 261 खसरा नंबर 2885/2697 रकबा 0.0800 हेक्टेयर पटवारी हल्का कालन्द्री I की मौका फर्द दिनांक 29-5-2017 ,नक्शा किश्तवार,का अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दि 5-6-2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्राथी को उक्त नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 4-7-2017 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 4-7-2017 को ही अप्रार्थी की ओर से वकील श्री दिनेशकुमार राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा न्यायहित मे अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु समय देते हुये प्रकरण वास्ते जवाब अप्रार्थी हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 26-9-2017 को रखा गया उसे बाद उक्त प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 27-10-2017,18-12-2017,12-1-2018

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

13–3–2018/27–3–2018 को न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को न्यायहित मे जवाब पेश करने हेतु कई अवसर देने के बावजूद आज तक अप्रार्थी ने जवाब पेश नही किया है।

राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्यायालय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र कालन्द्री मे यह पत्रावली मेरे समक्ष पेश हुई । पत्रावली देखने पर पाया कि अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 4–7–2017 से निरन्तर न्यायहित मे पर्याप्त अवसर देने के बावजद आज दिन तक करीबन 10 माह का समय व्यतीत हेाने के बावजूद पेश नही किया है जबकि सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि मे जवाब पेश करना आवश्यक है। इस कारण न्यायहित मे अप्रार्थी को जवाब हेतु आगे समय दिया जाना न्यायोचित नही होने से जवाब बंद करने के आदेश दिये गये । सुनवाई के दौरान प्रार्थी सरकार पक्ष की ओर से तहसीलदार/सिरोही व अप्रार्थी जीवाराम घांची ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया । विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दिनांक 30–5–2017 जमाबंदी/नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द दिनांक 29–5–2017 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर भी गंभीरता से मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि स्वीकृत मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार आज भी मौके पर अप्रार्थी द्वारा मौजा कालन्द्री I के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 261 खसरा नंबर 2885/2697 कुल रकबा 0.0800 हेक्टेयर भूमि अप्रार्थीं की खातेदारी भूमि आई हुई है।। उक्त खसरा नंबर की भूमि मेसे 55 गुणा 20 बराबर 1100 वर्गफीट कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये पक्की सिमेण्ट से निर्माण कर पांच दूकाने तैयार कर अर्बुदा काम्लेक्स का बोर्ड लगाकर वाणिज्यिक उपयोग कर उक्त भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य गंभीर रूप से गैरकूननी होने के साथ साथ राज्य सरकार को होने वाली राजस्व आय से भी वंचित होना पड रहा है।

प्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही व अप्रार्थीगण की बहस पर भी गहनतापूर्वक मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि मौके की वर्तमान स्थिति के अनुसार उक्त खसरा नंबर की भूमि मेसे 55 गुणा 20 बराबर 1100 वर्गफीट कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये पक्की सिमेण्ट से निर्माण कर पांच दूकाने तैयार कर अर्बुदा काम्लेक्स का बोर्ड लगाकर वाणिज्यिक उपयोग कर उक्त भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार/सिरोही का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार/सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा कालन्द्री I के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 261 खसरा नंबर 2885/2697 कुल रकबा 0.0800 हेक्टेयर मेसे 55 गुणा 20 बराबर 1100 वर्गफीट कृषि भूमि का बिना वाणिज्यिक रूपान्तरण करवाये अकृषि उपयोग कर अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उल्लंघन किया है। अतः मौजा कालन्द्री I तहसील सिरोही के जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 261 खसरा नंबर 2885/2697 कुल रकबा 0.0800 हेक्टेयर मेसे 55 गुणा 20 बराबर 1100 वर्गफीट को राजहित मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे सरकार के खाते मे दर्ज कर जमाबंदी की अपडेट प्रति इस न्यायालय को पेश करें । निर्णय आज राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र कालन्द्री मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । इस निर्णय की प्रति तहसीलदार/सिरोही को वास्ते पालनार्थ भेजी जावें । निर्णय आज दिनांक 23–5–2018 को रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र कालन्द्री मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

23/5/18
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 11–5–2018 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

23/5/18
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)